न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज•)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 1/20
तारीख दायरा : 02.03.2017

उनवान

1. दिलसुख पुत्र सूखा जाति चमार निवासी गौविन्दगढ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र सूखा जाति चमार ।
3. बनवारी पुत्र रामजीवन जाति चमार ।
4. मु0 ख्याली पुत्री रामजीवन जाति चमार।
5. मु. प्रेम बेवा गुरूचरण जाति चमार।
6. दुल्लीचन्द पुत्र गुरूचरण जाति चमार।
7. पप्पू पुत्र गुरूचरण जाति चमार।
8. लक्ष्मी पुत्री गुरूचरण जाति चमार।
9. मु.धूपी बेवा पून्याराम जाति चमार।
10. राजेन्द्र पुत्र पून्याराम जाति चमार नाबालिक जर्ये सरपरस्ती माता मु0धूपी खुद।
11. बिजेन्द्र पुत्र पून्याराम जाति चमार।
12. गीता देवी पुत्री पून्याराम जाति चमार।
13. सबिता पुत्री पून्याराम जाति चमार।
14. पपिता पुत्री पून्याराम जाति चमार।
15. रामकिशन पुत्र पूरना उर्फ पूर्णा जाति चमार निवासीयान् गौविन्दगढ जिला अलवर।

.....वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गौविन्दगढ बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील गौविन्दगढ जिला अलवर ।

......प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः— श्री मनीराम सैनी,अधिवक्ता ......वादीगण की ओर से ।
पैरोकार सरकार ....प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा :—

:: निणर्य :: दिनांकः 01.5.18

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.न. साबिक 736 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गौविन्दगढ में स्थित है जिसका हाल बन्दोबस्त ख.न. 750 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा बना है। उक्त आराजी वादीगण व वादीगण के वालिद सूखा पूरण पि. अमरू चमार की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो फौत हो चुके है तथा वादीगण स. 3 लना.14 के पिता रामजीवन,गुरूचरण, पून्याराम आदि फौत हो चुके है। आराजी मुतनाजा वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के दौरान्

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका आराजी मुतनाजा को वादीगण एवं वादीगण के वालिद सूखा पूर्ण पि. अमरू के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था। उक्त गलत इन्द्राज से वादीगण के हकूक जायल हो रहे है दिनांक 16.09.2016 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर यह दावा पेश करना लाजमी आया। अन्त में निवेदन किया गया कि उक्त आराजी का वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

2. वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी स. 2015–18 के अनुसार आराजी ख.न. 736 रकबा 1.18 बीधा पर सूक्खा,पूरना पि. अमरू समान भाग चमार सा.देह खातेदार दर्ज है तथा जमाबन्दी स. 2022 के अनुसार भी यही अकंन दर्ज है। स. 2028 में उक्त आराजी पर सुक्खा,पूरना पि. अमरू को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

3. उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर स्पष्ट की गई तथा मौखिक साक्ष्य लेखबद्व किये गये। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में रामकिशन , गोपाल,यादराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

4. हमने वादीगण के योग्य अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकि तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे। गैर खातेदार का अकंन गलत किया गया है जिसे दुरूष्त करते हुये वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब दावे में समर्थन किया है।

5. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अलवोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया है तथा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य माना गया है इसलिए इस मामले में तनकीवार विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

इस मामले में वादीगण का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी का वादीगण के वालिद खातेदार थे तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा दौरान् बन्दोबस्त खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी–3 के अनुसार साबिक ख.न. 736 रकबा 1.18 बीधा से हाल ख.न. 750 रकबा 1.18 बीधा बनना प्रमाणित होता है। नकल जमाबन्दी स. 2015–18 प्रदर्श–पी–6 के अनुसार साबिक ख.न. 736 सुक्खा पूरना पि. अमरू समान भाग चमार सा.देह खातेदार का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2022 प्रदर्श पी–5 में दर्ज है। जमाबन्दी स. 2028 प्रदर्श–पी–4 में हाल ख.न.750 सुक्खा व पूरना की गैर खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2072–75 प्रदर्श–पी–1 में दिलसुख,लक्ष्मीनारायण पि.सूखा 1/5 हि. बनवारी पुत्र रामजीवन सावित्री पुत्री रामजीवन 1/10 हि. प्रेमा पत्नी पित्र गुरूचरण लक्ष्मी पुत्री गुरूचरण 1/10 हि. समान भाग धूपी देवी पत्नी पून्याराम राजेन्द्र बिजेन्द्र पि. पून्याराम गीता सबिता पपीता पुत्रीयान 1/10 हि. समान भाग पून्याराम कोम मेघवाल रामकिशन पुत्र पूरणा कोम मेघवाल सा.देह 1/2 हि. गैर खातेदार का अकंन दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी वादीगण के वालिद सुक्खा ,पूरना पि. अमरु की खातेदारी की भूमि थी तथा वक्त बन्दोबस्त बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि को इनकी गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिर्वतन करने का कोई अधिकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग दौरान् बन्दोबस्त पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करने का अधिकार रखता है बिना सक्षम ॲथोरिटी के आदेश के बिना बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिर्वतन का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को स्वंय प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया है तथा वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों के परीक्षण से भी वादी के तथ्यों की पुष्टि होती है। चूंकि बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिर्वतन करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए बन्दोबस्ती इन्द्राज को दुरूष्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

6. दावा वादीगण डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. 750 रकबा 01 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम गौविन्दगढ का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम के साथ दर्ज इन्द्राज ''गैर खातेदार '' के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर)
उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

7. निणर्य आज दिनांक 01.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज•)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 1 / 20
तारीख दायरा : 02.03.2017

उनवान

1. दिलसुख पुत्र सूखा जाति चमार निवासी गौविन्दगढ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र सूखा जाति चमार ।
3. बनवारी पुत्र रामजीवन जाति चमार ।
4. मु0 ख्याली पुत्री रामजीवन जाति चमार।
5. मु. प्रेम बेवा गुरूचरण जाति चमार।
6. दुल्लीचन्द पुत्र गुरूचरण जाति चमार।
7. पप्पू पुत्र गुरूचरण जाति चमार।
8. लक्ष्मी पुत्री गुरूचरण जाति चमार।
9. मु.धूपी बेचा पून्याराम जाति चमार।
10. राजेन्द्र पुत्र पून्याराम जाति चमार नाबालिक जर्ये सरपरस्ती माता मु0धूपी खुद।
11. बिजेन्द्र पुत्र पून्याराम जाति चमार।
12. गीता देवी पुत्री पून्याराम जाति चमार।
13. सबिता पुत्री पून्याराम जाति चमार।
14. पपिता पुत्री पून्याराम जाति चमार।
15. रामकिशन पुत्र पूरना उर्फ पूर्णा जाति चमार निवासीयान् गौविन्दगढ जिला अलवर।

.....वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गौविन्दगढ बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील गौविन्दगढ जिला अलवर ।

......प्रतिवादीगण।

(दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिकी दिनांक 01.5.18

दावा वादीगण डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. 750 रकबा 01 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम गौविन्दगढ का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम के साथ दर्ज इन्द्राज "गैर खातेदार " के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(योगेश कुमार डागुर)
उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०